

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
-------------	----------------------------------

27/2/20 पञ्जावली पेश हुई।  
 कादी आधीवक्ता द्वारा पूर्व आदेशी क्रमांक 15.3.18 से लेकर आज दिन तक प्रतिवादी सं. 3/3 के काम मुकामों की तलकी हेतु फर्द तलकाला पेश नहीं किया, जिससे पञ्जावली विगत 2 साल से तलकी स्तर ही लांबित है, जिससे प्रकट होता है कि कादी आधीवक्ता की वाद में रुचि नहीं है। अतः तलकी के अभाव में उक्त वाद अंतर्गत धारा 09RS CPC अन्वये प्रयोग पत्कराया।

अतः उक्त वाद काकत घोषित करने अन्वये दंड न लायी निवेदना अंतर्गत धारा 09RS CPC अन्वये प्रयोग किया जाता है।

जिसे नोटल होकर दर्ज कर हो व दाखिल इफ्तार है।

सहायक कलेक्टर  
 जौनपुरा (जौनपुर)

